प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3896/2007

याचिकाकर्ता - प्यारे लाल, आयु लगभग 35 वर्ष, पिता आत्माराम, जाति गोंड, निवासी ग्राम धानडोंगरी, पोस्ट पटपर, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर।

2. उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, राजनांदगांव।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत धानडोंगरी, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव।

5. हीरा लाल, पिता दीनूराम, निवासी ग्राम धानडोंगरी, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्रीमती अंजु आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

....

आदेश

(दिनांक 11 जुलाई, 2007 को पारित)

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का नाम ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा, धानडोंगरी, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 25-10-2005 के प्रस्ताव में अनुमोदित किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा याचिकाकर्ता के नाम की अनुशंसा किए जाने के बावजूद, आज दिनांक तक उसके पक्ष में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। अब पंचायत बिना याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई आदेश पारित किए, पंचायत कर्मी के पद पर पुनः नियुक्ति करने की कार्यवाही कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को यह युक्तिसंगत आशंका है कि पंचायत, पंचायत कर्मी के पद पर पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा की गई अनुशंसा का पालन किए बिना, नई नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित कर सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि भले ही याचिकाकर्ता आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ले, उसे नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं होता, सिवाय उन परिस्थितियों के जब मनमानी या अनियमितता हो, जैसे कि कनिष्ठ को नियुक्त कर दिया गया हो और याचिकाकर्ता को छोड़ दिया गया हो। वर्तमान याचिका में ऐसी स्थिति नहीं है।

3. चयन के आधार पर, भले ही वह विधि के अनुसार किया गया हो, याचिकाकर्ता पद पर नियुक्ति का अधिकार दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में स्थापित किया जा चुका है।

4. शंकरसन दाश बनाम भारत संघ[1] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि—

“यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कुछ रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपयुक्त पाए गए हैं, तो सफल अभ्यर्थियों को

1 (1991) 3 SCC 47

नियुक्ति का ऐसा अपरिहार्य अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे वैध रूप से नकारा नहीं जा सकता।"

5. इसके पश्चात ***लुधियाना सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम अमरीक सिंह एवं अन्य***[2] के मामले में भी इस सिद्धांत का अनुसरण किया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि—

"अन्यथा भी, अब यह विधि में स्थापित है कि किसी चयन सूची में जिसका नाम सम्मिलित है, उसे रिक्तियां होने के बावजूद भी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने का कोई निहित (vested) अधिकार नहीं होता।"

6. आगे, **भारत संघ एवं अन्य बनाम काली दास बातिश एवं एक अन्य**[3] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि—

"केवल किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में शामिल हो जाने मात्र से उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, और जब कोई अधिकार ही नहीं है, तो ऐसे अस्तित्वहीन अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका बनाए रखने का कोई अवसर नहीं हो सकता।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. चूंकि याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 को याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्त करने हेतु कोई रिट या निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

8. प्रकरण में कोई सार नहीं है। अतः याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

---

2 (2003) 10 SCC 136

3 (2005) 1 SCC 779

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur